पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 192/2024 **दिनांक- 18.06.2024**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

दुष्कर्म के सहयोग में अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 30.05.2024 को वादिनी थाना जहानागंज आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी किरन भारती द्वारा मेरे नाबालिक लड़की को काम के बहाने घर पर बुलाकर घर मे भेज दिया तथा उसके पति रविन्दर द्वारा मेरी लड़की को साथ बलात्कार किया तथा उसके साथ छेड़खानी किया गया,जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 263/2024 धारा 376/354/342/506/120बी भादवि बनाम रविन्दर व किरन भारती पत्नी रविन्दर कुमार के पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 18.06.2024 को अपराध निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संम्बन्धित अभियुक्ता किरन भारती पत्नी रविन्दर उर्फ नरेन्द्र कुमार निवासी बबुरा व्यौहारडीह थाना जहानागंज आजमगढ़ को थाना गेट पर पहुँच कर समय लगभग 11.35 बजे गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता- किरन भारती पत्नी रविन्दर कुमार उर्फ नरेन्द्र निवासी बबुरा व्यौहारडीह थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स. 263/2024 धारा 376/354/342/506/120बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे थाना जहानागंज आजमगढ़

म.का. रिचा तिवारी थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना सरायमीर

भगवान श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ -

दिनांक 17.06.2024 प्र0नि0 श्री यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्वीटर के माध्यम से श्री रतन गुप्ता, मोदी का परिवार ने अपने ट्वीटर @Ratangu32952926 पर संदेश पोस्ट किया गया हैं, जिसमें @Ratangu32952926 द्वारा अवगत कराया गया है कि दो व्यक्ति प्रभु राम को गाली दे रहे जिनका नाम रवि कुमार S/O फिरतू राम और दूसरे का नाम चंदन कुमार S/O मेवालाल हैं दोनो फरहामउ थाना सरामयीर आजमगढ़ के निवासी हैं इनके उपर जनहित में कार्यवाही आवश्यक हैं तथा इसके साथ दो वीडियो अपलोड किया गया हैं।

उक्त संदेश व वीडियो की जांच प्र0नि0 किया गया तो ज्ञात हुआ कि थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत ग्राम फरहामऊ निवासी रवि कुमार पुत्र फिरतू राम व चंदन कुमार पुत्र मेवालाल द्वारा प्रभु श्रीराम का नाम लेकर विडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो बनाया गया हैं। के सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0-342/2024 धारा 153(क), 295(क) भा0द0वि0 का अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत कराया गया।

आज दिनांक 18.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक अभियुक्त चंदन कुमार पुत्र मेवालाल निवासी फरहामऊ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को सुतरीगंज बाजार अम्बेडकर मुर्ती तिराहे से पुलिस बल के सहयोग से समय 10.15 बजे पुलिस हिरासत लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया गया है तथा दूसरे अभियुक्त रवि कुमार पुत्र फिरतू राम घटना के बाद से फरार चल रहा है। शीघ्र ही गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही अमल लायी जायेगी।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-342/2024 धारा 153(क), 295(क) भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

1- घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल बरामद

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0-342/2024 धारा 153(क), 295(क) भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- चंदन कुमार पुत्र मेवालाल निवासी फरहामऊ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1. उ0नि0श्री बासुदेव साहनी मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.06.24 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान परसहाँ नदी पुलिया पर एक व्यक्ति अबू ओसामा पुत्र स्व0 मो0 इद्रीश निवासी चकिया हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष को एक अदद तमंचा व एक अदद कारतूस बरामद हुआ। अवैध तमंचाव कारतूस की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 285 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 285/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अबू ओसमा पुत्र स्व0 मो0 इद्रीश निवासी ग्राम चकिया हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

बरामदगी- एक अदद अवैध देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास- मु0अ0स0 222/2023 धारा 380,411 भादवि थाना निजामाबाद, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़

3.का0 दिनेश चन्द्र थाना निजामाबाद आजमगढ़

2. का0 प्रशान्त कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना तहबरपुर

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय लिखित तहरीर दी कि विपक्षी सतीश कुमार द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को अकेला पाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/2024 धारा 376,506 भादवि व 3/4 (2) पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की गयी विवेचना के क्रम में पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 (2) पोक्सो एक्ट की घटोत्तरी करते हुए धारा 354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी जिसके आधार पर धारा 354,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में विवेचना की गयी विवेचना के क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरणः—

दिनांक 18.06.2024 को थानाध्यक्ष मधुपनिका मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र स्व0 लालचन्द निवासी ग्राम ददरा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को रघुनाथपुर अण्डर पास पुर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास से समय 14.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तत्पश्चात थाना हाजा पर लाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0सं0 126/2024 धारा 354,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-सतीश कुमार पुत्र स्व0 लालचन्द निवासी ग्राम ददरा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष

अपराधिक इतिहासः- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष मधुपनिका थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अजय कुमार राय थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 गौरव कुमार यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 रत्नेश सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
5. म0का0 दिव्या शुक्ला थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़